न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 32 सन 2020
अनवान :–

1. पालराम पुत्र दानाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 20/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60/47 के खसरा न0 613/13.3550 ,847/5.9180 ,853/3.7050हैक भूमि में सयुक्त तोर से 189 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल का नाम का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है।

सायल के पिता का देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण दर्ज करते समय सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम पालाराम पुत्र दानाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजातं में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायल का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60/47 के खसरा न0 613/13.3550 ,847/5.9180 ,853/3.7050हैक भूमि में सयुक्त तोर से 189 हिस्सा में प्रार्थी का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है के स्थान पर पालाराम पुत्र दानाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60/47 के खसरा न0 613/13.3550 ,847/5.9180 ,853/3.7050हैक भूमि में सयुक्त तोर से 189

Scanned with CamScanner

हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल का नाम का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है।

सायल के पिता का देहान्त होने के बाद विरासतन से नामान्तकरण दर्ज करते समय सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम पालाराम पुत्र दानाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजातं में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में सायल का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60/47 के खसरा न0 613/13.3550 ,847/5.9180 ,853/3.7050हैक्ट भूमि में सयुक्त तोर से 189 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार है जिसमें सायल का नाम का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है।

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत धानसिया के प्रमाण पत्र के अनुसार शिशपाल एवं पालाराम दोनो एक ही आदमी है जिसे व्यक्तिगत रूप से जानता है अर्थात सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है सायल का नाम राजस्व रिकार्ड मं संशोधन सहखातेदरो के हिस्से में कोई अन्तर नही आता तथा सायल का नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60/47 के खसरा न0 613/13.3550 ,847/5.9180 ,853/3.7050हैक्ट भूमि में सयुक्त तोर से 189 हिस्सा बतौर भूमि का सायल का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम के स्थान पर पालाराम उर्फ शिशपाल पुत्र दानाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/8/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 32/1364RA/ दिनांक :- 20/8/20

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 32 / 2020 अनवानी पालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-
1. पालाराम पुत्र दानाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 32 / 2020 अनवानी पालाराम बनाम सरकार में दिनांक 20/08/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 60 / 47 के खसरा न0 613 / 13.3550 ,847 / 5.9180 ,853 / 3.7050हैक्‍ भूमि में सयुक्त तोर से 189 हिस्सा बतौर भूमि का सायल का नाम शिशपाल पुत्र दानाराम के स्थान पर पालाराम उर्फ शिशपाल पुत्र दानाराम संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner